

पत्रांक : 2138 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / टैक्स आडिट-अनु0 / 2016-17 / देहरादून।

कार्यालय:-आयुक्त कर उत्तराखण्ड

(टैक्स आडिट अनुभाग)

देहरादून: दिनांक: 10 जून, 2016

:: परिपत्र ::


उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 25(9) के अन्तर्गत

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 2077/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/टैक्स-ऑडिट अनु0/2016-17 दिनांक 08 जून, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 25(9) के प्राविधानों के अन्तर्गत Online Utility के माध्यम से Tax Audit Assessment वादों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर कतिपय वादों के चयन हेतु निर्देश जारी किए गये थे (छायाप्रति संलग्न)।

संदर्भित परिपत्र में Tax Audit Assessment वादों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों से संबंधित तालिका, जिसके आधार पर तैयार सम्पूर्ण वादों की सूची में से Tax Audit ढाचे के सापेक्ष जनशक्ति अनुसार ब्यौहारियों का चयन कमिश्नर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं चयनित वादों की सूची में से उच्च Risk वाद Tax Audit इकाई द्वारा निस्तारित किए जाने हेतु चयनित किए जायेंगे एवं शेष वाद कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डों पर विशेष रूप से केन्द्रित (Focus) करते हुए प्राथमिकता से निस्तारित किए जायेंगे, निर्धारित प्रारूप में त्रुटिवश संलग्न नहीं हो पायी है।

अतः निर्धारित मापदण्डों से संबंधित तालिका, संलग्नक-1, इस परिपत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2138 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स रिव्यू) वाणिज्य कर, देहरादून/रुद्रपुर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
- 6- गार्ड फाईल हेतु।


आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

संलग्नक-1

TABLE SHOWING AUDIT PARAMETERS AND ASSIGNMENT OF POINTS TO DEALER FOR SCRUTINY FROM DEEMED AND FOR AUDIT

Risk Profile of Dealer (Period of Study-----to -----)			
SI. NO	Category	Points & Category Dynamic	Basis/Limit of Taxable Turnover or tax taken to Categories the parameters
1	ITC Mismatch of Rs. 5 lac + claimed being purchased from cancelled dealers, non-filers, nil-filers, suspended dealers and dealers having invalid TIN	10	Excluding PSU selling dealers
2	Total Sale / Total Purchase < 1.05	10	Relating to the dealers who have taxable sale of Rs. 1 Crore +
3	Non-fillers / Nil-fillers for last One Year with tripsheet transaction of Rs. 10 Lac +	10	
4	Non-fillers / Nil-fillers for last One Year with purchase from / sold to registered dealers for Rs. 10 Lac +	10	
5	More than 1 Periodical Return has been revised And More than Once	10	And ITC Claimed as increased by 20 % + this 20 % is > Rs. 1 Lac
6	GTO > Rs. 5 Crore + Tax Deposited < Rs. 50,000	10	
7	GTO > Rs. 2 Crore and above + 50% of sale as exempt	10	
8	Sale in Transit > Rs. 1 Crore	10	
9	Sale < 80 % of Last Year	10	Dealers having GTO of Rs. 1 Crore +